



2026: AHC- LKO: 21543

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या - 1470 वर्ष 2025

प्रदीप कोरी उर्फ प्रदीप हरिजन (अवयस्क) मार्फत पिता (नैसर्गिक संरक्षक)पुनरीक्षणार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य मार्फत अपर मुख्य सचिव, गृह, लखनऊ और अन्यविपक्षी(गण)

पुनरीक्षणार्थी(गण) के लिए अधिवक्ता : नागेंद्र बहादुर सिंह, द्रुपद उपाध्याय, मुकेश कुमार तिवारी,
सुशील कुमार यादव

विपक्षी(गण) के लिए अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 13

माननीय मनीष कुमार, न्यायमूर्ति

1. मामला पुकारा गया।
2. विपक्षी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. इस न्यायालय ने दिनांक 10.03.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किया था:-
" 1. मामला आज स्थगित किया जाता है, क्योंकि पुनरीक्षणार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुशील कुमार यादव ने स्टेशन से बाहर होने की पर्ची भेजी है।
2. इस मामले को दिनांक 12.03.2026 को सूचीबद्ध करें।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. यह स्पष्ट किया जाता है कि सूचीबद्ध होने की आगामी तिथियों पर, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति के कारण मामले को स्थगित नहीं किया जाएगा और पक्षकारों के अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति में भी प्रथम पुकार में ही उचित आदेश पारित किए जाएंगे। "
4. दिनांक 10.03.2026 के रोक आदेश पर विचार करते हुए, यह न्यायालय वर्तमान पुनरीक्षण को गुणावगुण के आधार पर सुनने के लिए अग्रसर हुआ।
5. आवेदक/पुनरीक्षणार्थी के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण, बाल न्यायालय/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, प्रतापगढ़ द्वारा दाण्डिक अपील संख्या 41 वर्ष 2025 में पारित आदेश दिनांक 17.10.2025, और साथ ही किशोर न्याय बोर्ड, प्रतापगढ़ द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 36 वर्ष 2025 में पारित आदेश दिनांक 23.05.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।
7. मामले के तथ्य यह हैं कि आवेदक के विरुद्ध थाना लीलापुर, जिला प्रतापगढ़ में भारतीय न्याय संहिता की धारा 65 और 351(3) के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 3/4(2) के तहत दिनांक 11.03.2025 की एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक ने सूचनादाता की लगभग 15 वर्ष की आयु की पुत्री की लज्जा बलपूर्वक भंग की, और उसे यह धमकी भी दी कि यदि उसने किसी को घटना के बारे में बताया, तो उसके परिवार के सदस्यों को मार दिया जाएगा। यह भी आरोप है कि एक पड़ोसी ने आवेदक को सूचनादाता के घर से निकलते समय देखा था।
8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि आवेदक एक अवयस्क था और कथित घटना के समय उसकी आयु लगभग 15 वर्ष 2 महीने और 10 दिन थी। बोर्ड द्वारा जारी हाई स्कूल अंकतालिका के अनुसार, उसकी जन्म तिथि 01.01.2010 दर्ज है। हालांकि, सूचनादाता/शिकायतकर्ता की ओर से, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ने बोर्ड के समक्ष कक्षा 5 की छात्र पंजिका प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार आवेदक की जन्म तिथि 13.05.2009 दर्ज है, जिसके अनुसार कथित घटना के समय आवेदक 15 वर्ष, 8 महीने और 29 दिन का था।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. यह भी दलील दी गई कि किशोर न्याय बोर्ड ने, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94 का उल्लंघन करते हुए, आवेदक की आयु के निर्धारण हेतु अस्थिरकरण परीक्षण के लिए मामले को चिकित्सा बोर्ड के पास भेजा, इस तथ्य के बावजूद कि आवेदक की जन्म तिथि के प्रमाण के संबंध में दो दस्तावेज रिकॉर्ड पर पहले से ही उपलब्ध थे। आवेदक द्वारा विशेष न्यायाधीश/पॉक्सो अधिनियम के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील को इस आधार पर बोर्ड के आदेश की पुष्टि करते हुए खारिज कर दिया गया था कि आवेदक की जन्म तिथि के संबंध में दो विरोधाभासी दस्तावेज थे।
10. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि अधिनियम, 2015 की धारा 94 के तहत यह प्रावधान है कि आयु निर्धारण के लिए स्कूल प्रमाण पत्र या मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि पर विचार किया जाना चाहिए, और केवल ऐसे दस्तावेजों के अभाव में ही, नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पर विचार किया जाना चाहिए। केवल इन दोनों श्रेणियों के दस्तावेजों की अनुपस्थिति में ही, अस्थिरकरण परीक्षण सहित चिकित्सा राय मांगी जा सकती है।
11. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए. ने पुनरीक्षण का पुरजोर विरोध किया है और यह दलील दी है कि बोर्ड ने आयु के उचित निर्धारण के लिए अस्थिरकरण परीक्षण का सही आदेश दिया है। हालांकि, वह अधिनियम, 2015 की धारा 94 के आज्ञापक प्रावधान के संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों का खंडन करने में असमर्थ रहे।
12. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात, यह स्पष्ट है कि किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 94, जो आयु की उपधारणा और निर्धारण से संबंधित है, स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करती है कि आयु निर्धारण के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित वरीयता क्रम का पालन किया जाना चाहिए:-
- (i) स्कूल से प्राप्त जन्म तिथि प्रमाण पत्र, या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो;
 - (ii) इसके अभाव में, किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र; और

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) केवल उपरोक्त की अनुपस्थिति में, समिति या बोर्ड के आदेशों पर आयोजित अस्थिकरण परीक्षण या किसी अन्य चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण द्वारा आयु का निर्धारण किया जाएगा।

13. वर्तमान मामले में, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि आवेदक की जन्म तिथि के संबंध में दो दस्तावेज रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं, बोर्ड द्वारा जारी हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार, आवेदक की जन्म तिथि 01.01.2010 है जबकि कक्षा 5 के स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार, जन्म तिथि 13.05.2009 है।

14. उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियों और की गई चर्चा को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि यदि किसी भी दस्तावेज को विचार में लिया जाता है, तो केवल यही तथ्य सामने आता है कि कथित घटना के समय आवेदक की आयु 16 वर्ष से कम थी। ऐसी परिस्थितियों में, किशोर न्याय बोर्ड के पास आयु निर्धारण के लिए अस्थिकरण परीक्षण का निर्देश देने का कोई अवसर नहीं था। अपीलीय न्यायालय, अर्थात्, विशेष न्यायाधीश/पॉक्सो अधिनियम, प्रतापगढ़, भी बोर्ड के आदेश की पुष्टि करते समय इस पर विचार करने में विफल रहा है, इस प्रकार दोनों आदेश अधिनियम, 2015 की धारा 94 के स्पष्ट उल्लंघन में हैं। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि धारा 94 का खंड (iii) "केवल" शब्द से शुरू होता है, अर्थात् यह कहने के लिए कि अन्य आयु निर्धारण परीक्षण का सहारा केवल खंड (i) और (ii) में उल्लिखित किसी भी दस्तावेज की अनुपस्थिति में ही लिया जा सकता है और अन्यथा नहीं।

15. तदनुसार, वर्तमान दाण्डिक पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है।

16. उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियों और की गई चर्चाओं को देखते हुए, बाल न्यायालय/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, प्रतापगढ़ द्वारा दाण्डिक अपील संख्या 41 वर्ष 2025 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 17.10.2025, और साथ ही किशोर न्याय बोर्ड, प्रतापगढ़ द्वारा प्रकीर्ण वाद संख्या 36 वर्ष 2025 में पारित आदेश दिनांक 23.05.2025 को एतद्वारा अपास्त किया जाता है।

17. आवेदक- प्रदीप कोरी उर्फ प्रदीप हरिजन (अवयस्क) मार्फत पिता (नैसर्गिक संरक्षक) को उपरोक्त मामले में उसके पिता/नैसर्गिक संरक्षक द्वारा संबंधित न्यायालय/बोर्ड की संतुष्टि के लिए समान राशि के दो विश्वसनीय प्रतिभुओं के साथ एक व्यक्तिगत बंधपत्र निष्पादित करने पर जमानत

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर रिहा किया जाए और उसके पिता/नैसर्गिक संरक्षक द्वारा शपथ पत्र पर इस आशय का वचन पत्र प्रस्तुत करने पर कि वह किशोर की उचित देखभाल करेगा, उसे किसी भी गैरकानूनी या आपराधिक गतिविधि में शामिल होने या गैरकानूनी तत्वों की संगति में जाने की अनुमति नहीं देगा, उसे सख्त नियंत्रण में रखेगा, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को धमकाने का प्रयास नहीं करेगा, साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा, विचारण न्यायालय के समक्ष नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा, जिसमें विफल रहने पर, पुनरीक्षणार्थी/किशोर को दिया गया जमानत का आदेश रद्द किया जा सकता है।

18. आज से एक वर्ष की अवधि के लिए, किशोर/पुनरीक्षणार्थी अपने नैसर्गिक संरक्षक के साथ प्रत्येक माह की 10 तारीख को संबंधित जिला परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा।

मार्च 25, 2026

दिव्या

(मनीष कुमार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।